फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गिरजा कुंवर — **विपक्षी : श्री मोतीसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 45/24**

जीसीएमएस : 2024/150

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 03.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करना बताकर खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 182 पर दर्ज आराजी नम्बर 255 किता 1 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीया, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहती हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा मूल वाद बंटवाडे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षीगण खुर्द बुर्द, निर्माण व हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द अथवा निर्माण कर लेते है तो इससे प्रार्थीया के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि अविभाजित सम्पति में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। उभय पक्षकारान की अविभाजित सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होते हैं। प्रकरण में दिनांक 08.08.2024 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसे मूल वाद के निस्तारण तक प्रभावी किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested

किये जावेगें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बामणिया खेत पटवार हल्का डबोक तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 182 पर दर्ज आराजी नम्बर 255 किता 1 रकबा 0.0809 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(**रमेश सीरवी पुनाडिया** R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:56:20 IST
Reason: SelfAttested